

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-26022021-225477
SG-DL-E-26022021-225477असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 70]	दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 23, 2021/ फाल्गुन 4, 1942	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 341
No. 70]	DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 23, 2021/ PHALGUNA 4, 1942	[N. C. T. D. No. 341

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIशहरी विकास विभाग
(स्थानीय निकाय निदेशालय)

अधिसूचना

दिल्ली, 23 फरवरी, 2021

सं. फा. 22/13/2000/यूडी/पा.फा./1652-64.—दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (1957 का 66) की धारा 347क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली एतद्वारा श्री मनीष खुराना, दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी को उक्त अधिनियम की धारा 347क के अन्तर्गत सरकार द्वारा गठित अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में इस अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के नाम तथा उनके आदेशानुसार,
अनिल कुमार, उप निदेशक (स्थानीय निकाय)

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

(DIRECTORATE OF LOCAL BODIES)

NOTIFICATION

Delhi, the 23rd February, 2021

No. F. 22/13/2000/UD/PF/1652-64.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 347A of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 (66 of 1957), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby appoints Shri Manish Khurana, an officer of the Delhi Higher Judicial Services, on deputation basis for a period of one year with effect from the date of Notification, as Presiding Officer of Appellate Tribunal, constituted by the Government under sub-section (1) of section 347A of the said Act.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

ANIL KUMAR, Dy. Director (Local Bodies)